राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सोनी (RTS)तहसीलदार

(80)

मि.न. 82/2016

दायर दिनांक 15.12.2016

प्रार्थीः– श्री मु. कमला पुत्री केला ब्राहम्ण नि. निलोद ।

बनाम

ग्राम पंचायत निलोद

अन्तर्गत :– अपील रिमाण्ड नामान्तरकरण जांच धारा 135 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 ।

उपस्थितः–

1. श्री देवीलाल जाट अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

निर्णय दिनांक 17.08.2017

–:निर्णयः–

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है– प्रार्थिया मु. कमला पुत्री केला ब्राहमण नि. निलोद द्वारा उपस्थित हो कर एक प्रार्थनापत्र पेश किया कि माननीय न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी) महोदय कपासन प्र.स. 29/2015 नामान्तरकरण अपील निर्णय दिनांक 09.06.2016 द्वारा स्व.श्री केला पिता देवजी ब्राहमण नि. निलोद की विरासत का नामान्तरकरण सख्या 29/0212.96 निरस्त कर दिया व पत्रावली पुनः आप को रिमाण्ड कर पुनः जांच कर विरासत की कार्यवाही का आदेश हुआ है। अतः निर्णय अनुसार स्व.श्री केला पिता देवजी की पुनः विरासत का नामान्तरण खुलवाने की कृपा करे।साथ में निर्णय दिनांक 09.06.2016 कार्यवाही की नकल तथा वकीलश्री नरेन्द्रकुमार दाधीच का वकालत नामा प्रस्तुत किया।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जा कर पटवारी हल्का निलोद से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई ।पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि श्री केला पिता देवजी ब्राहमण के तीन पुत्र व चार पुत्रिया है तथा पत्नी शंकरीबाई फोत हो चुकी है।सन्तान 1.भंवरलाल 2. मोहनलाल 3. मंगनीराम 4. सोहनी 5. तुलसी 6. बदामी 7. कंकू है।भवरलाल व कंकू की मृत्यु हो गई है। भवरलाल के दो पुत्र 1. किशनलाल व 2. ओमप्रकाश पुत्री पूरणबाई व पत्नी कमलाबाई है।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार समस्त वारिसान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्रो से तलब किया गया। प्रर्थिया कमला द्वारा उपस्थित हो कर बयान दर्ज कराये कि मेरे को बदामी नाम से भी पुकारते है कमला व बदामी दोनो मेरे ही नाम है मेरे पिताजी के तीन लडके व चार लडकिया थी उन मे से एक लडकी कंकू की मृत्यु हो गई है। मेरे पिता को जमीन मेरे दादाजी की विरासत से प्राप्त हुई है। मेरे काका लाओलाद फोत हुए है उनकी जमीन भी मेरे पिताजी को प्राप्त हुई है।मेरे पिताजी की विरासत के नामान्तरकरण में मेरे तीनो भाईयो के नाम नामान्तरकरण दर्ज कर जमीन उनके नाम कर दी है।मेरे व मेरी बहनों के नाम नामान्तरकरण नही खुला । मेने मेरे भाईयो के पक्ष में कोई हकत्याग नही किया है। हिन्दु उतराधीकार अधिनियम अनुसार मेरे को व मेरी बहनो को हिस्सा दिलवाया जावे।मुझे दोनो नामो से जानते है मेरे पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड व बीपीएल सूची में बदामी नाम दर्ज है जो सही है। बयान शामिल पत्रावली किया गया। श्री मोहनलाल,मगनीराम पिता केला,ओमप्रकाश,पूरणदेवी पिता भवरलाल कमलाबाई पत्नी भवरलाल ने उपस्थित हो कर वकील श्री देवीलाल जाट का वकालत नामा प्रस्तुत किया व निम्नानुसार आपत्ति दर्ज कराते हुए जवाब पेश किया–

1. यह कि प्रार्थनापत्र की कालम एक में अपील होना स्वीकार है परन्तु हम अप्रार्थीगणों को बिना सुने निर्णय किया जो गलत है और अपील में बहस न होते हुए भी राजस्व केम्प में निर्णय कर दिया जो गलत है।
2. यह कि कालम दो का जवाब है कि मृतक केला ने अपने पत्रो के पक्ष मे वसीयत पत्र

लगातार.....

(81)

3. निस्पादित किया जिसके आधार पर अन्तकाल खोला गया जो सही है केला की सभी पुत्रियो ने अपने भईयो के पक्ष में नामान्तरकरण खुलवाने में सहमती दी जिसका नामान्तरकरण 02.12.1996 पर अंकन है। तथा सन् 2005 से पूर्व पुत्रियो का अपने पिता की सम्पति में कोई हक नही बनता यह निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया है। एक बार हक छोडने के बाद पुनः प्राप्त करने का अधिकार नही है।पंचायत द्वारा पूर्व में जो इन्तकाल खोला वो सही है। अपील 20 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो मयाद अवधि पर नही होने से भी अपील खारीज योग्य है। अतः रिमाण्ड में अपील खारीज की जावे।नामा.स.29 की नकल व वसीयत पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जो शामील पत्रावली किया गया।

श्री मोहनलाल,मगनीराम पिता केला आदि द्वारा वसीयत नामें में दर्ज गवाह श्री कालुलाल पिता किशनलाल सोनी नि. फतहनगर व भगवतीलाल पिता चुन्नीलाल यादव नि. निलोद का शपथ आयुक्त द्वारा प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये जिसमें गवाहो द्वारा केला पिता देवजी को पहचानना स्वीकार करते हुए वसीयत की लिखापढी उनके सामने चोपनिया बही में सम्वत 2047 वैशाख सुदी बारस रविवार को की गई जो सही है व उस समय केला जी के पुत्र–पुत्रिया वहा मोजुद थे ओर पुत्रियो ने अपने पिता की सम्पति मे से हक त्याग की सहमति हमारे व अन्य मोजुद ग्राम के मोतबिरानो के सामने दी जो सही है।वसीयत पत्र पर हमारे हस्ताक्षर है जो सही है।लिखापढी रतनजी चपलोत नि. सनवाड वालो ने की थी।

श्री तुलसीबाई,सोहनीबाई, पिता केला, ने अपने बयानो में बताया कि केला पिता देवजी रिस्ते मे हमारे पिता लगते है।उनकी लगभग 23 वर्षो पूर्व मृत्यु हो गई है। हमारी माता की भी मुत्यु हो गई है। हम सात भाई–बहीन है उन मेसे कंकू लाओलाद फोत हो गई है। भाई भंवरलाल की भी मृत्यु हो गई है, उसके दो पुत्र,एक पुत्री व पत्नी कमलाबाई है। हमारे पिता जी ने उनके जीवन काल में हम तीनो बहनो की सहमति से सारी जमीन,घर,गवाडी आदि की वसीयत तीनो भाईयो के नाम कर दी जो सही है व हमारी सहमति से हुई है। वर्तमान में भूमि पर तीनो भाईयो का ही कब्जा हो कर काश्त कर रहे है। पिता जी के नाम दर्ज भूमि उनकी खरीदी हुई है व पेतृक कम है।पहले ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण खोला जो सही है,उसी अनुसार वापस करने पर हमारे को कोई आपत्ति नही है। हम तीनो बहने शादी शुदा हो कर ससुराल में आबाद है। भईयो ने तीनो बहनो को मायरा करा दिया है व रोके मोके आते है व कपडा आदि लाते है। बयान शामिल पत्रावली किये गये। श्री मोहनलाल, पिता केला, किशनलाल,ओमप्रकाश,पूरणबाई पिता भंवरलाल,कमलाबाई पत्नी भंवरलाल ने भी अपने बयानो में वसीयत पत्र को सही बताया व इसी अनुसार नामान्तरकरण खोला जाना सही बताया।

मेने अप्रार्थीगणों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी तथा माननीय न्यायालय के रिमाण्ड आदेश व विवादीत नामान्तरकरण का अवलोकन किया।

अप्रार्थीगणों के विद्वान अधिवक्ता श्री देवीलाल जाट का तर्क है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन द्वारा लोक अदालत में प्रभावित पक्षो को सुने बिना एक तरफा निर्णय पारीत कर नामा.स. 29/02.12.1996 को खरीज किया जो मनमर्जी होकर लोक अदालत की भावना के विरूद्ध है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6(5) में 2005 के संशोधन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार दिनांक 20.12.2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हुई हे तो बेटी को पिता की सम्पति में कोई अधिकार नही है।तथा साक्ष्य स्वरूप आजतक LIVE TV न्यूज की फोटोप्रति व हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6(5) संशोधन की प्रति पेश की।पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा नामा.स. 29/02.12.1996 स्वीकृत किया जो सही हैं।नामान्तरकरण पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी जांच में स्पष्ट उल्लेख है कि फोती द्वारा अनरजिस्टर्ड वसीयत अपने पुत्रो के नाम की हुई है व पुत्रियो ने सहमति दी हुई है।नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर निर्णित हुआ है जो सही है।साक्ष्य स्वरूप RBJ(9)2002 रूलिंग की माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निगरानी प्रकरण सख्या 100/94/जोधपुर निर्णय 26.02.2002 श्री खेता बनाम रघुनाथ की प्रति पेश की जिसमें अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर की गई नामान्तरकरण की कार्यवाही को सही माना है।वर्तमान में लगभग 20–21

लगातार.....

82

वर्षो से मोके पर भी केला की सम्पति पुत्रो के पास ही है। इससे भी स्पष्ट है कि पूर्व नामानतरकरण पुत्रियो कि सहमति से ही खुला है।नामान्तरकरण 29 को खरीज कर माननीय न्यायालय द्वारा भारी भूल की है।नामान्तरकरण की अपील कमला पुत्री केला के नाम से की गई है जबकि केला के कमला नाम की कोई पुत्री ही नही है नाम छुपा कर वाद करना बदनियती का ज्वलन्त उदाहरण है। अपील उसी स्तर पर खारीज होनी थी।अतः पुनः वसीयत पत्र अनुसार नामान्तरकरण का आदेश दिया जावे।

मेनें पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज,बयान आदि का गहनता से अध्ययन व मनन किया तथा दोनो पक्षो के तर्को–वितर्को पर गोर किया। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निलोद नामा.स.29 / 02.12.1996 वाद ग्रस्त आराजी का निर्णित किया वह केला पिता देवजी द्वारा अपने पुत्रो के पक्ष में बैशाख सुदी बारस रविवार सम्वत् 2047 को की गई अन रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर किया है।नामान्तरकरण पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि फोती द्वारा अनरजिस्टर्ड वसीयत अपने पुत्रो के नाम की हुई है व पुत्रियो ने सहमति दी हुई है। वसीयत नामे का पंजिकृत नही होना विवादीत नही है। वादीया कमला के सिवाय सभी वारिसो ने भी वसीयत को उनकी जानकारी मे हो कर सही मानते हुए उनके पिता केला द्वारा करना स्वीकार किया है। वसीयत पत्र पर दर्ज गवाहो ने भी शपथ आयुक्त द्वारा प्रमाणित अपने शपथ पत्रो में केला द्वारा की गई वसीयत की लिखा पडी उनके सामने हो कर गवाह स्वरूप हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। वर्तमान में भूमि पर तीनो पुत्रो अर्थात् मोहनलाल, मंगनीराम पिता केला व भंवरलाल की मृत्यु होने से उनके वारिसान का कब्जा हो कर काश्त होना बयानो से स्पष्ट है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निगरानी प्रकरण सख्या 100 / 94 / जोधपुर निर्णय 26.02.2002 श्री खेता बनाम रघुनाथ मे भी माननीय न्यायालय ने वसीयत को रजिस्टर्ड होना आवश्यक नही माना तथा अन रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित नामान्तरकरण को सही मानते हुए निगरानी को अस्वीकार किया है। प्रकरण में विरासत की कार्यवाही हिन्दू उतराधिकार अधिनियम(संशोधित)2005 लागु होने के पूर्व हो चुकी थी । वादी कमला पुत्री केला ने अपने बयान में बताया कि उसे कमला व बादामी दोनो नामों से जाना जाता है परन्तु इस तथ्य का उल्लेख उपखण्ड अधिकारी महोदय के निर्णय दिनांक 09.06.2016 में कही नही है ।तथा कथित कमला के पहचान इत्यादि समस्त दस्तावेज बदामी के नाम से बने हुए है। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वादी कमला स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 18.04.2017 के पश्चात एक भी सुनवाई तिथि को उपस्थित नही हुई ।मोके पर कब्जा भी वादी का नही पाया गया। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यो के अवलोकन के पश्चात उपलब्ध एव प्रस्तुत साक्ष्यो के दृष्टिगत हमें ग्राम पंचायत निलोद के प्रकरण में नामा.स. 29 दिनांक 02.12.1996 से असहमत होने का कोई विधिक कारण दृष्टिगोचर नही होता परन्तु प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी महोदय के निर्णय दिनांक 09.06.2016 द्वारा वादग्रस्त नामा. खारीज कर इस आशय से रिमाण्ड किया कि" मृतक केला के वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण निर्णित किया जावे"। प्रकरण में नामा.स. 29 दिनांक 02.12.1996 के पश्चात मृतक केला के एक पुत्र भंवरलाल की विरासत का नामान्तरकरण 774 दिनांक 29.03.2013 स्वीकृत हो कर अमल हुआ है।नामा.स. 497 व 657 से भी खाता प्रभावित हुआ है।

अतः समस्त प्रभावित पक्षो की सुनवाई के पश्चात प्रकरण में ग्राम पंचायत निलोद द्वारा नामा.स. 29 पर दिनांक 02.12.1996 को पारित निर्णय यथावत रखा जाता है एवं इसके आगे पारित नामा.स. 497,657,774 इस निर्णय से अप्रभावित रह कर वादग्रस्त आराजियात की रेकार्ड में दर्ज वर्तमान स्थिति बहाल रखी जाती है। वादग्रस्त नामा.स. 29 पर इस निर्णय के अंकन / स्वीकृति हेतु नियमानुसार प्रक्रिया अमल में लाई जाने हेतु पटवारी हल्का निलोद को लिखा जावे। पत्रावली फेसल शुमार हो कर नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार तहसीलदार
जिला चित्तौडगढ
(भू. अभि.) भूपालसागर
जिला–चित्तौडगढ (राज.)

तहसीलदार–भूपालसागर जिला–चित्तौडगढ (राज.)